

2569

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the

Sub :- Diversion of 2.30 hectares (instead of 2.36) of forest land in favour of HPPWD for widening and strengthening Sarkaghat-Ghumarwin road (Km. 61/950 to 76/00), within the jurisdiction of Suket Forest Division Distt. Mandi, HP.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB698/2012-CHA दिनांक 07.08.13 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 2.30 hectare वन भूमि को Executive Engineer, B&R Division HPPWD Sarkaghat, Distt. Mandi, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- 2 कम से कम पौधे कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दो सौ तेईस वृक्षों से अधिक नहीं होगी।
- 3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF Jhinjru में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 7,84,892/- (सात लाख चौरासी हजार आठ सौ बानवे मात्र) की राशि से कुल 4.60 हेक्टेयर वन भूमि में पौधे लगाकर किये जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- 4 No labour camp shall be established on the forest land.
- 5 The User Agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
- 6 The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area.
- 7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 8 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या 11-48/2002 - FC दिनांक 29/30 अप्रैल-2015, 5-3/2007-FC दिनांक 17 जनवरी 2011 तथा अन्य जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 9 यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

S/PCA
FCA
APCCF (P)
PCCF
11/10

3148
4/11/13

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the, ... 1-10-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in above order.
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Mandi, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.
6. Executive Engineer, B&R Division, HPPWD Sarkaghat, Distt. Mandi. HP.
7. CCF, Mandi /DFO, Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.
8. Guard File.

(Prakasha Nand)
Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.
0177-2628481, 9418455573